सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 62 राँची, सोमवार, 21 फरवरी, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-12/2021-110—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**10/02/2022** को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021

(झारखण्ड अधिनियम संख्या-02, 2022)

अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में एस०ओ० संख्या-117 दिनांक 15.12.2000 द्वारा अंगीकृत) यथा संशोधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 में संशोधन हेतु अधिनियम ।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को 72वें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।

2. अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 -सह- यथा संशोधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 के साथ साथ संलग्न अनुसूची के पश्चात् एक नयी अनुसूची 'क' को निम्नवत् रूप से जोड़ा जाएगाः-

अनुसूची 'क'

(कैप्टिव खपत हेतु शुल्क दर)

क्र०सं०	**शुल्क वर्ग**	**विद्युत उपभोग अथवा बिक्री के सकल यूनिट**
1	खनन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाईयों जिनके द्वारा जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित किया गया है, के द्वारा कैप्टिव खपत।	करमुक्त
2	सभी औद्योगिक इकाईयाँ जिनके द्वारा पावर स्टेशन का अधिष्ठापन किया गया है, के द्वारा कैप्टिव खपत ।	50 पैसे प्रति यूनिट उर्जा खपत
3	सभी खनन इकाईयाँ जिनके द्वारा पावर स्टेशन का अधिष्ठापन किया गया है, के द्वारा कैप्टिव खपत ।	50 पैसे प्रति यूनिट उर्जा खपत

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

17 फरवरी, 2022

संख्या-एल०जी०-12/2021-111—लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- **10/02/2022** को अनुमत **झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

(**Jharkhand Act, 02, 2022**)

An Act to amend Adopted Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand vide S./O. No. 117 dated 15.12.2000) as amended Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

Be it enacted in the Seventy second year of the Republic of India by the state legislature in the following manner-

1. Short title, extent and commencement –

(i) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force w.e.f. date of its publication in the official gazette.

2. Schedule "A" shall be added as new Schedule in Adopted Bihar Electricity Duty Act, 1948 as amended Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021 after the current Schedule in the following manner:-

Schedule A
(Tariff in respect of captive consumption)

Sl. No.	Tariff Category	Gross units of energy consumed or sold.
1	Captive consumption by mining, commercial and industrial units, that have installed generating sets.	Exempted
2	Captive consumption by all Industrial units that have installed power station.	50 paise per unit of energy consumed
3	Captive consumption by all mining units that have installed power station.	50 paise per unit of energy consumed

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।